# आईएलओ कन्वेंशन 190

## कार्य की दुनिया में हिंसा एंव उत्पीड़न को संबोधित करता है

## चलिए सी 190 के अनुसमर्थन के लिए अभियान चलाएं

यूनियनों के तौर पर यह सुनिश्चित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह कन्वेंशन कागज से वास्तविकता में परिवर्तित हो।

हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि सदस्य सरकारें कन्वेंशन की पुष्टि करें और इसे अपने राष्ट्रीय कानूनों का हिस्सा बनाएं।

### यूनियनें क्या कर सकती हैं:

- जागरूकता बढ़ाना और यूनियन के सदस्यों और जनसाधारण को शिक्षित करना।
- प्रत्येक देश में सी190 के अनुसमर्थन के लिए सक्रिय अभियान चलाना।
- कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न के मुद्दे के आसपास लामबंदी करना।
- कार्यस्थल की हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने में मदद के लिए अन्य ट्रेड यूनियनों, राष्ट्रीय केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार समूहों के साथ गठबंधन बनाना।
- अनुसमर्थन की पैरवी करने के लिए संरचनाओं का विकास।

**अभियान से संबंधित अन्य सामग्री आप यहाँ पा सकते हैं:**

**यूएनआई ग्लोबल यूनियन** www.breakingthecircle.org

**पीएसआई** www.publicservices.international/campaigns/stop-gender-based-violence-at-work?id=5676&lang=en

**आययूएफ** www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=82

**आईडीडब्ल्यूएफ** www.idwfed.org/en/campaigns/c190

**इंडस्ट्रियल** www.industriall-union.org/women-0

**आईएफजे** www.ifj.org/what/gender-equality.html

## यह ज़िंदगियां बदल सकता है

कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न हर जगह हो सकता है – ऑनलाइन, भौतिक कार्यस्थल में, आवागमन के दौरान, जहाँ कर्मचारी आराम करते हैं, खाते हैं या अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता की ज़रूरतों पूरा करते हैं और साथ–साथ सामाजिक सभाओं में भी।

### हम इसे रोक सकते हैं!

जून 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने क्राँतिकारी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण, कन्वेंशन 190 (सी190) और सिफारिश 206 (आर 206) को अपनाकर कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न को बंद करने का आह्वान किया।

यह नया कन्वेंशन सभी श्रमिकों – इंटर्न, अपरेंटिस, प्रशिक्षण में लोग, जिन श्रमिकों का रोजगार समाप्त कर दिया गया है, वॉलंटियर्स और नौकरी ढूंढने वाले लोगों की उनकी संविदात्मक स्थिति के बावजूद रक्षा करता है।

- इसमें जेंडर आधारित हिंसा पर मज़बूत फोकस है। कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न से महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं।
- यह सार्वजनिक और निजी, ग्रामीण और शहरी, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है।
- इसका दायरा कार्य की दुनिया है, जो केवल वास्तविक कार्यस्थल से बड़ा है।
- कन्वेंशन 190 किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता।

### सी190 महत्वपूर्ण क्यों है ?

- कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
- यह पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसका उद्देश्य कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न का अंत करना है।
- यह मानता है कि सभी को हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त कार्य की दुनिया का अधिकार है।
- कन्वेंशन राष्ट्रीय कानून में मौजूदा अंतरालों को भरेगा।

# मनोवृत्ति में बदलाव और समानता को बढ़ावा

**कार्य की दुनिया में हम सभी – सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों – को पारस्परिक सम्मान और गरिमा के आधार पर कार्य संस्कृति प्रदान करने और बनाए रखने के लिए एक भूमिका निभानी है।**

- कन्वेंशन कार्य की दुनिया में भेदभाव और असमानता से लड़ने का एक अर्थपूर्ण साधन है।
- कन्वेंशन में कहा गया है कि सरकारें महिलाओं, प्रवासियों, विकलांग लोगों और बहु और प्रतिच्छेदित (इंटरसेक्टिंग) पहचान वाले लोगों को नस्ल, जातीयता, स्वदेशी स्थिति, यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान को आधार न मानकर सभी के लिए रोज़गार और व्यवसाय में समानता और गैर–भेदभाव के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले कानून अपनाएंगी।
- कार्यस्थल जोखिम आकलन, जैसा कि कन्वेंशन में निर्धारित किया गया है, दृष्टिकोण को बदलने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि वे उन कारकों को ध्यान में रख सकते हैं जो जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जैसे जेंडर, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों) की संभावना को बढ़ाते हैं।
- कार्यस्थल जोखिम आकलन, जैसा कि कन्वेंशन में निर्धारित किया गया है, दृष्टिकोण को बदलने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि वे उन कारकों को ध्यान में रख सकते हैं जो जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जैसे जेंडर, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों) की संभावना को बढ़ाते हैं।

## हिंसा और उत्पीड़न क्या है?

- हिंसा और उत्पीड़न अलग–अलग अस्वीकार्य व्यवहार और प्रथाएं, या खतरे हैं, जो एक या कई बार हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य, या जिनका परिणाम, या जिनके परिणामस्वरूप, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन या आर्थिक नुकसान हो सकते हैं।
- हिंसा और उत्पीड़न **शारीरिक दुर्व्यवहार से कहीं अधिक है**। यह यौन उत्पीड़न, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, डराना–धमकाना, धौंस दिखाना, धमकी और पीछा करने का रूप ले सकता है। संसाधनों से वंचित करना या सेवाओं तक पहुँच और स्वतंत्रता के अन्य वंचन भी हिंसा के रूप हैं।
- अपराधकर्ता नियोक्ता, प्रबंधक, सुपरवाइज़र, समकक्ष,, सहकर्मी हो सकते हैं, साथ ही तीसरे पक्ष, जैसे ग्राहक, नियोक्ता के रिश्तेदार या मित्र, और सेवा प्रदाता भी हो सकते हैं।
- **हिंसा पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है, हालाँकि महिलाएं तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं।**
- जब किसी व्यक्ति पर हिंसा उनके सेक्स या जेंडर के कारण की जाती है तब इसे **जेंडर आधारित हिंसा** कहा जाता है।
- तीन महिलाओं और लड़कियों में से एक, अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद, अपने जीवनकाल में हिंसा का अनुभव करती है।

# सी190 और ट्रेड यूनियनें – यह हमारा उपकरण हैं और हमें इनका उपयोग करना चाहिए

### कन्वेंशन 190 के अंतर्गत:

- घरेलू हिंसा सहित जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न को कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।
- नियोक्ता को ट्रेड यूनियनों के परामर्श से हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए उपाय करने और कार्यस्थल की नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों को कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न तथा जेंडर आधारित हिंसा पर संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

सी 190 दो आईएलओ सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के 12 महीनों के बाद लागू होगा। लेकिन यूनियनों को अनुसमर्थन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है; श्रमिकों के जीवन को बदलने के लिए हमें पहले से ही इस साधन का उपयोग करना चाहिए।

**आईएलओ कन्वेंशन 190**

### सी190 ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों को कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न से लड़ने के लिए एक गति प्रदान करता है।

### चलिए अब इसका उपयोग करें!

- अभियानों और समझौते की सामूहिक बातचीत के माध्यम से गैर–भेदभाव और समानता को बढ़ावा दें।
- कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न के बारे में सदस्यों को शिक्षित करें।
- सी190 और इसके महत्व पर सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाना। सी190 एक जीवन बदलने वाला कन्वेंशन है जो लाखों श्रमिकों को सुरक्षित कार्य परिवेश पाने में, हिंसा और उत्पीड़न के सभी रूपों, विशेष रूप से जेंडर आधारित हिंसा, को समाप्त करने में मदद करेगा।
- इन उपकरणों (सी190 / आर206) के आधार पर समझौते की सामूहिक बातचीत में इस भाषा को शामिल करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं के साथ काम करें कि स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों में हिंसा और उत्पीड़न और विशेष रूप से जेंडर आधारित हिंसा शामिल हों।
- कार्य की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न से लड़ने के लिए उपकरणों (सी190 / आर206) पर आधारित भाषा को शामिल करने के लिए वैश्विक ढांचे के समझौतों की बातचीत में वैश्विक यूनियन फेडरेशनों के कार्य का समर्थन करें।